न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2023(रसद) (GCMS 2023/4)	09.01.2023	04.07.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

ललित सोनावा पिता पुरूषोत्तम नामदेव निवासी नामदेव कॉलोनी चित्तौड़गढ़ फर्म नामदेव कचौरी एवं चाट सेन्टर कलेक्ट्रेट चौराहा, चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 95715 53355)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
हिमांशु कीर — अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.12.2022 को 1.45 पीएम को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक पिंकी स्वर्णकार नामदेव कचौरी एवं चाट सेन्टर कलेक्ट्रेट चौराहा चित्तौड़गढ़ पर पहुंची वक्त निरीक्षण मौके पर पुरूषोत्तम एवं ललित जो आपस में पिता पुत्र उपस्थिति मिले। मौके पर रिलायन्स घरेलु गैस सिलेण्डर को उक्त कचौरी सेन्टर पर अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर कचौरी निकालते हुए पाया गया। दो घरेलु गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडे होकर उपयोग में लिये जाते हुए पाये तथा कुछ वहां रखे हुए पाये गये पूछने पर पाया गया कि उक्त सिलेण्डर का उपयोग भी कचौरी चाट बनाने के लिये किया गया है। घरेलु गैस सिलेण्डर की रख–रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् मौके पर प्रहलाद माली पिता शम्भुलाल माली निवासी बोरदा मोबाईल नंबर 73002 47948 एवं प्रकाश छीपा पिता मोतीलाल छीपा निवासी सेक्टर नंबर 4 गांधीनगर चित्तौड़गढ़ की उपस्थिति में सभी घरेलु गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा कर मापन किया गया। उक्त 8 घरेलु गैस सिलेण्डरों के मापन पर **15.07 Kg.** गैस पाई गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रबंधक भारत गैस चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में कुल 8 सिलेण्डर दिये गये। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। ललित सोनावा पिता पुरूषोत्तम नामदेव निवासी नामदेव कॉलोनी चित्तौड़गढ़ फर्म नामदेव कचौरी एवं चाट सेन्टर कलेक्ट्रेट चौराहा द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 8 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **15.07 Kg.** को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 24.01.2023 को विपक्षी की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 04.07.2023 को उभयपक्ष हाजिर आये। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती हैं, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 21.12.2022 को 1.45 पीएम को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक पिंकी स्वर्णकार नामदेव कचौरी एवं चाट सेन्टर कलेक्ट्रेट चौराहा चित्तौड़गढ़ पर पहुंची। मौके पर रिलायन्स घरेलु गैस सिलेण्डर को उक्त कचौरी सेन्टर पर अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर कचौरी निकालते हुए पाया गया। सिलेण्डरों का उपयोग कचौरी चाट बनाने के लिये किया गया है। घरेलु गैस सिलेण्डर की रख-रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया।

इस पर अधिवक्ता विपक्षी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि जब्तशुदा सिलेण्डर विपक्षी के पारिवारिक सदस्यों के जिनको रिफिलिंग हेतु विपक्षी ले जा रहा था और आवेदक द्वारा राजनैतिक कारणों से उक्त झूठा प्रकरण दायर किया जाकर पेश किया है जो कि खारीज किये योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि विपक्षी की और से जब्तशुदा सिलेण्डरों के संबंध में किसी भी प्रकार से कोर्ठ दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल. पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 8 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से आवेदन का केवल मौखिक तौर खण्डन किया गया है और कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी आवेदन का ठोस खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **15.07 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 21.12.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नामदेव कचौरी एवं चाट सेन्टर कलेक्ट्रेट चौराहा चित्तौड़गढ़ से विपक्षी ललित सोनावा से जब्त शुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **15.07 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **04.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official